36)

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 181**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है)**

**पैन-आधार से जोड़ना**

**181. श्री धैर्यशील, श्री संभाजीराव माणे: श्री सुधीर गुप्ता: श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक: श्री बिद्युत बरन महतो:**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** कितने खाताधारकों ने अपने आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड से जोड़ा है;

**(ख)** क्या सरकार ने पैन को आधार संख्या से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य थे;

**(ग)** क्या अति वरिष्ठ नागरिकों को भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(घ)** इससे पैन कार्ड धारकों को किस प्रकार लाभ मिलेगा;

**(ड.)** क्या सरकार ने उक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

**(च)** सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि इस डाटा का रख-रखाव करने वाले संगठन से उक्त संवेदनशील डाटा लीक नहीं हो?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

**(क)** 11 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार उन स्थायी खाता संख्या (पैन) की संख्या 29,30,74,520 है जिन्हें आधार संख्या के साथ लिंक किया गया है।

**(ख)** जी हां। आयकर अधिनियम, 1961(अधिनियम) की धारा 139कक की उपधारा (1) के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो 01 जुलाई, 2017 से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र था, पैन के आवंटन हेतु आवेदन फार्म में तथा आय विवरणी में आधार का उल्लेख करना है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो 01 जुलाई, 2017 को पैन धारक था, जो अन्यथा आधार संख्या प्राप्त करने हेतु पात्र था, को ऐसे फार्म तथा पद्धति में ऐसे प्राधिकारी को अपने आधार की सूचना देनी है जिसे सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जानी वाली तारीख को अथवा उससे पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सामान्यतः पैन को आधार के साथ लिंक करना जाना जाता है।दिनांक 27 जून, 2017 की सा.का.नि. संख्या 642(अ) वाली अधिसूचना द्वारा प्रधान आयकर महानिदेशक(प्रणाली) को निर्धारित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसको एक व्यक्ति द्वारा आधार संख्या को सूचित किया जाना है जिसके पास 01 जुलाई, 2017 को पैन था। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2019 की का.आ. संख्या 1495(अ) वाली अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार पैन को आधार संख्या के साथ लिंक करने हेतु नियत तिथि के रूप में 30 सितंबर, 2019 विनिर्दिष्ट की जिसे बाद में दिनांक 28 सितंबर, 2019 की का.आ. संख्या 3539(अ) वाली अधिसूचना द्वारा 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दिया गया था।

इस पहल के पीछे उद्देश्य पैन कार्ड धारकों की अनन्य पहचान सुनिश्चित करना और पता नहीं चले डुप्लीकेट पैन को छांटना है। यह पैन के दुरूपयोग तथा संभावित कर जालसाजी को रोकने के लिए भी जरूरी है।

**(ग)** दिनांक 11 मई, 2017 की का.आ. संख्या 1513(अ) वाली अधिसूचना द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष की आयु अथवा इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों, जिनके पास आधार संख्या नहीं है अथवा नामांकन आईडी नहीं है, को अधिनियम की धारा 139कक की अनुप्रयोज्यता से छूट है।

**(घ)** यह पैन की अद्वितीयता सुनिश्चित करेगा और आवेदकों/सत्ताओं को विविध पैन प्राप्त करने से रोकेगा।

**(ड.)** दिनांक 28 सितंबर, 2019 की का.आ. संख्या 3539(अ) वाली अधिसूचना के अनुसार, आधार संख्या के साथ पैन को लिंक करना 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जाना है।

**(च)** आयकर अधिनियम, 1961, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के बारे में यह सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय किए गए हैं कि डाटा की गोपनीयता को बनाए रखना है। आधार इको सिस्टम का सुरक्षा आश्वासन आधार (वित्तीय तथा अन्य आर्थिक सहायताओं, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 और तत्पश्चात आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के साथ सुदृढ़ बनाया गया है, जिनमें दोषियों के लिए कठोर अर्थदण्ड तथा सजाएं हैं।

******